

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

अज अदालत

नियम

बानाराम

जवाहराम

बनाम

किस्म मुकदमा

183, 188 P-1, 19 नं. 13 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

20/11/18

वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री डॉ. लालाराम ने अन्तर्गत धारा 183, 188 P-1 का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की, कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/जवाबदावा तारीख 7/13/18 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4/8

वादी तामील उपस्थित। प्रविनाशगण सरल्य पता व मय सम्मन वाद पत्र के पेश हुए परन्तु प्रविनाशगण 430 प्रविनाशगण (पता - 4.5 मी और 1 तामील के वामपत नामा पेश किया पत्रावली वास्ते 10/3 मी तामील/जवाबदावा हेतु दिनांक 26/11/18 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बालाराम
जवाहराम

प्रतिवादी के सम्मन मय वाद पत्र प्रविनाशगण के पेश हुए

वादीगण के प्रतिवादी द्वारा नं 395 उपस्थित

वादीगण के वाद पत्र 2-तामिल

पौडासन अ. 10/11/18
सहायक कलेक्टर

प्रदेश करने की चेष्टा जारी करें
जस (कार्य) की रक्षा निमेधंदा
प्रतिगामीय के विरुद्ध जारी की जाने

राजस्य लोके (अदालत) नाम
आपके कार मे उपस्थित प्रमाणों को
सुना गया। दोनों पक्षों की समझौते
की गई है दोनों पक्षों ने हाकिम
अदालत की मांगना से सहमति
जाहिर की है विवादित खेत का हिस्सा
गंभीर कर सीमांकन करना दिया जाने
प्रतिकूल कल्याण प्राप्त जाने पर कोषणा
हटा दिया जावेगा।

अतः राजनीतिकार पक्षों को दोनों
पक्षों के सम्बन्ध वादस्थित खेत का
सीमांकन हेतु एक हीम जारी कर सीमांकन
करने के आदेश दिए जाते हैं। पक्षों
में आक्षेप रखने अनुमति नहीं दी।
पक्ष का प्रतिकूल कल्याण प्राप्त जाता
है तो कल्याण होने हेतु प्रतिकूल प्रमाणों
निर्दिष्ट मामले (कार्य) में सुबले-सामान्य
के सुनाया गया। प्रमाणों में सत्य
शुभार होकर दालिगत दायर है।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
वासोतरा कैम्प.. जयपुर